न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्रीमती कुमारी बनाम श्रीमती नामकरण वगैरह
किस्म मुकदमा--225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या --:258 / 2024(नसीराबाद)

6/12/24

श्री राजेन्द्र सिंह रावत एडवोकेट श्री
कुमारी बनाम नामकरण (2024 / 258)

24.10.2024 यह अपील श्री राजेन्द्र सिंह रावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,अजमेर द्वारा प्रकरण 57 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील की पुश्त पर की रिपोर्ट में अपील के क्षेत्राधिकार के लिए बहस आवश्यक किया जाकर अंकित किया गया। पत्रावली वास्ते बहस क्षेत्राधिकार अपील दिनांक 20.11.2024 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

20.11.2024 पत्रावली वास्ते सुनवाई अपील क्षेत्राधिकार हेतु पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। बहस हेतु अभिभाषक अपीलांट अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते सुनवाई अपील क्षेत्राधिकार दिनांक 27.11.2024 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

27/11/24 राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते सुनवाई अपील क्षेत्राधिकार दिनांक 29/11/24 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

29/11/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट स्थगन चाहते है। पत्रावली वास्ते सुनवाई अपील क्षेत्राधिकार दिनांक 2/12/24 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2/12/24 राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते सुनवाई अपील क्षेत्राधिकार दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6/12/24 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को उर्दू बार रूम-रूम आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार बोर्ड नम्बर लेकर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner